

नया प्रातानाथ, कटनी: दावा मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के संपुर-कटनी रेल खंड के बीच आर्टक रेलवे स्टेशन में मंगलवार दोपहर एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। जिसके चलते बिलासपुर की

गया। घटना का असर कटनी मुड़वारा स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों व गुड्स ट्रेनों पर भी पड़ा।

दो ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए जाने के कारण यात्री परेशान रहे तो

कार्यालय में भी लोगों की भीड़ लगी रही।

मार्ग में शहडोल के पास चल रहे तीसरी लाइन के कार्य के चलते पहले से ही कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है।

नहीं होना पड़ा।

मुड़वारा स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि दुर्घटना के कारण उत्कल एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर उसे गोर्दिया होते हुए चलाया गया है।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस
ई-नीलामी दिनांक- 30/12/2024

क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड, शहडोल, मध्य प्रदेश

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित विधीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रगारित है, का प्रलक्षित कच्चा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है वहाँ है और जो कुछ भी है, विस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	प्राण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कच्चे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अंतिम बरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1	सिंगरीली मोब.नं.- 82280 12887	श्री प्रदीप कुमार शाह पुत्र श्री सीता शरण शाह (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम हरदवा, पोस्ट तीयरा, तहसील व जिला सिंगरीली (म.प्र.)	रु. 46,46,574/- + मविध्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 972/4 रकबा ग्राम बरहपान, पटवारी हल्का क्र. 57, तहसील व जिला सिंगरीली (म.प्र.), मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री प्रदीप कुमार शाह पुत्र श्री सीता शरण शाह। चतुर्सीमा: उत्तर- रघुनाथ वैश्य की भूमि, दक्षिण- PMGS रोड, पूर्व- राम जियावन वैश्य की भूमि, पश्चिम- रामानुग्रह वैश्य की भूमि। कुल क्षेत्रफल: 12918.00 वर्गफुट/0.120 हे. उस पर निर्मित मकान/ इकाई। प्रलक्षित कच्चा	रु. 10,16,000/-	रु. 1,01,600/-
2	सिंगरीली मोब.नं.- 82260 12887	श्री राम सेवक साहू पुत्र श्री महादेव साहू (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम एवं पोस्ट जगह बैदन, जिला सिंगरीली (म.प्र.)	रु. 8,48,176/- + मविध्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 854/4म/1, ग्राम बैदन, पटवारी हल्का 51, वार्ड क्र. 39, तहसील व जिला सिंगरीली (म.प्र.)। मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री राम सेवक साहू पुत्र श्री महादेव साहू। चतुर्सीमा: उत्तर- म.प्र. शासन की संपत्ति, दक्षिण- लालजी साहू की संपत्ति, पूर्व- सरजू साहू की संपत्ति, पश्चिम- साझा भूमि मालिक की संपत्ति (Joint land owner), कुल क्षेत्रफल: 0.032 हे. उस पर निर्मित मकान/ इकाई। प्रलक्षित कच्चा	रु. 26,98,000/-	रु. 2,69,800/-
3	सीधी मोब.नं.- 91794 06871	1. श्रीमति नीलम सिंह पत्नी श्री अमरपाल सिंह (उधारकर्ता) पता: ग्राम बंजारी गोपद बनास जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486661 2. श्री संतोष सिंह चौहान पुत्र श्री समर बहादुर (गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: मकान क्र. 136, अमहा वार्ड क्र. 21, गणेश स्कूल कोटहा के पास, जिला सीधी मध्य प्रदेश- 486661	रु. 21,88,393/- + मविध्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: खसरा क्र. 164/5/2, वार्ड क्र. 21, रानी दुर्गावती वार्ड, ग्राम अमहा पटवारी हल्का सीधी खुर्द, शिव मंदिर एवं सूखा नाला अमहा रोड के पास, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.), मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री संतोष सिंह चौहान पुत्र श्री समर बहादुर सिंह चौहान। चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- संतोष सिंह की भूमि, पूर्व- रोशन गुप्ता का मकान, पश्चिम- संतोष सिंह का मकान। कुल क्षेत्रफल 73X60 = 4360 वर्ग फीट/ 0.113 हे. उस पर निर्मित मकान/ इकाई। प्रलक्षित कच्चा	रु. 20,00,000/-	रु. 2,00,000/-
4	सीधी मोब.नं.- 91794 06871	1. श्री लवकेश दुबे पुत्र श्री सरोज कुमार दुबे (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: वार्ड क्र. 8, जमींदी खुर्द, पटवारी हल्का जमींदी खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी- 486661	रु. 5,89,476/- + मविध्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: खसरा क्र. 484/2/1/ग जमींदी खुर्द, पटवारी हल्का जमींदी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी मध्य प्रदेश। मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री लवकेश दुबे पुत्र श्री सरोज दुबे। चतुर्सीमा: उत्तर- बृजराजा देवी (विक्रेता की भूमि), दक्षिण- विक्रेता की भूमि, पूर्व- शिवराज बहादुर सिंह की भूमि, पश्चिम- रास्ता। कुल क्षेत्रफल 1800.00 वर्ग फीट उस पर निर्मित मकान/ इकाई। प्रलक्षित कच्चा	रु. 27,00,000/-	रु. 2,70,000/-
5	सीधी मोब.नं.- 91794 06871	1. मेसर्स अम्बर मैनुफैक्चर प्रो. श्री अरविंद कुमार गौतम पुत्र श्री अरुण कुमार गौतम (मूल उधारकर्ता) 2. श्री अरविंद कुमार गौतम पुत्र श्री अरुण कुमार गौतम (मूल उधारकर्ता) पता 1: ग्राम एवं पोस्ट- पन्नोखर, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी- 486775, पता 2: मकान नं. 3067, वार्ड नं. 4, पडरा नई बस्ती, तहसील- हुजूर, जिला- रीवा- 486001 2. श्री आदित्य प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री मिथला प्रसाद पाण्डेय (गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम एवं पोस्ट- कपुरी बेघुलियान, बोर के पास, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी- 486771	रु. 20,70,963/- + मविध्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: खसरा क्र. 1175, ग्राम- वड़खड़ा 740, पटवारी हल्का- वड़खड़ा, आर.आई. चुरहट, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी (म.प्र.)। मू-स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता- श्री आदित्य प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री मिथला प्रसाद पाण्डेय। चतुर्सीमा: उत्तर- जमुना राम तिवारी की भूमि, दक्षिण- समयलाल की भूमि, पूर्व- राम कुशल की भूमि, पश्चिम- विक्रेता की भूमि। कुल क्षेत्रफल- 0.210 हे. उस पर निर्मित मकान/ इकाई। प्रलक्षित कच्चा	रु. 6,80,000/-	रु. 68,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <http://ebkay.in> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेलपलाइन नंबर 91-8291220220 या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 91-9893098247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई-मेल- recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यालय के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु संबंधित शाखा- सिंगरीली (मो. 82280 12887), सीधी (म.प्र.) (मो. 91794 06871) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यालय के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 09/12/2024 से 13/12/2024 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सफेदी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 27/11/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

भयत म
तानुसार
मनाया
जनपद
छी प्रीतूर
प्रमुख
डों खंड
थे।

के अंतर्गत विध्य नर्सिंग कॉलेज कल्याणपुर
शहडोल में युवाओं के साथ जेंडर आधारित
हिंसा पर संवाद कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम
का शुभारंभ अखिलेश मिश्रा सहायक संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया

कार्डसल के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की
विस्तृत जानकारी दी गई। राघवेंद्र तिवारी
कोतवाली प्रभारी ने साइबर सुरक्षा एवं उनसे
जुड़ी सावधानियों से युवाओं को अवगत
कराया। विकास पाण्डेय डीएसपी महिला

गया। कार्यक्रम का समापन अखिलेश मिश्रा
के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप
सेन्टर से सपना पाण्डेय कार्डसलर भानुप्रिया
केसवर्कर व कुंदन विश्वकर्मा आईटीवर्कर
उपस्थित रहे।



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस
ई-नीलामी दिनांक- 30/12/2024

क्षेत्रीय कार्यालय- बुधर रोड,
शहडोल, मध्य प्रदेश

प्रतिभूति विन (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के पर्युक्त के साथ पठित विचीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा
प्रतिभूति विन का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अर्धीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

अन्य लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरी/प्रचारित है, का प्रलंबित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "बर्तों है विसाई और जो कुछ भी है, किस प्रकार है, एवं दायित्व प्रति" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की कसब्य राशि को वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	संबंधित शाखा	प्राप्त खाता/अर्धी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मूल्य/ बकाया राशि	साध्यबचक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आवकित मूल्य अंतिम बटौर कब्जा राशि बिक्रय दृष्टि राशि
1	सिंगरीली मो.नं.- 82280 12887	श्री प्रदीप कुमार शाह पुत्र श्री सीता शरण शाह (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम हरहवा, पोस्ट तीयरा, तहसील व जिला सिंगरीली (म.प्र.)	₹ 46,46,574/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 972/4 कब्जा ग्राम बरहपान, पटवारी हल्का क्र. 57, तहसील व जिला सिंगरीली (म.प्र.), मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री प्रदीप कुमार शाह पुत्र श्री सीता शरण शाह। चतुर्सीमा: उत्तर- रघुनाथ वैश्य की भूमि, दक्षिण- PMGS रोड, पूर्व- राम जियावन वैश्य की भूमि, पश्चिम- रामानुज वैश्य की भूमि। कुल क्षेत्रफल: 12916.00 वर्गफुट/0.120 हे. उस पर निर्मित भवन/ इकाई। प्रलंबित कब्जा	₹. 10,16,000/- ₹. 1,01,600/- ₹. 50,000/-
2	सिंगरीली मो.नं.- 82280 12887	श्री राम सेवक साहू पुत्र श्री महादेव साहू (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम एवं पोस्ट जराह बंदन, जिला सिंगरीली (म.प्र.)	₹ 8,48,176/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति:- खसरा क्र. 854/4/1, ग्राम बंदन, पटवारी हल्का 51, वार्ड क्र. 39, तहसील व जिला सिंगरीली (म.प्र.)। मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री राम सेवक साहू पुत्र श्री महादेव साहू। चतुर्सीमा: उत्तर- म.प्र. शासन की संपत्ति, दक्षिण- लालजी साहू की संपत्ति, पूर्व- सरजू साहू की संपत्ति, पश्चिम- साझा भूमि मालिक की संपत्ति (Joint land owner), कुल क्षेत्रफल: 0.032 हे. उस पर निर्मित भवन/ इकाई। प्रलंबित कब्जा	₹. 26,98,000/- ₹. 2,69,800/- ₹. 1,00,000/-
3	सीधी मो.नं.- 91794 06871	1. श्रीगणेश नित्यम सिंह पत्नी श्री अमरपाल सिंह (उधारकर्ता) पता: ग्राम बंजारी गोपद बनास जिला सीधी मध्य प्रदेश-486661 2. श्री संतोष सिंह चौहान पुत्र श्री सगर बहादुर (गारंटीदाता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: मकान क्र. 136, अमहा वार्ड क्र. 21, नगेश स्कूल कोटवा के पास, जिला सीधी मध्य प्रदेश-486661	₹ 21,88,393/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: खसरा क्र. 184/5/2, वार्ड क्र. 21, रानी दुर्गावती वार्ड, ग्राम अमहा पटवारी हल्का सीधी खुर्द, शिव मंदिर एवं सूखा नाला अमहा रोड के पास, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.), मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री संतोष सिंह चौहान पुत्र श्री सगर बहादुर सिंह चौहान। चतुर्सीमा: उत्तर- रास्ता, दक्षिण- संतोष सिंह की भूमि, पूर्व- रोशन गुप्ता का मकान, पश्चिम- संतोष सिंह का मकान। कुल क्षेत्रफल 73x60 = 4360 वर्ग फीट/ 0.113 हे. उस पर निर्मित भवन/ इकाई। प्रलंबित कब्जा	₹. 20,00,000/- ₹. 2,00,000/- ₹. 1,00,000/-
4	सीधी मो.नं.- 91794 06871	1. श्री लक्ष्मण दुबे पुत्र श्री सरोज कुमार दुबे (मूल उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) पता: वार्ड क्र. 8, जमीनी खुर्द, पटवारी हल्का जमीनी खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी-486661	₹ 5,89,476/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: खसरा क्र. 484/2/1/ग जमीनी खुर्द, पटवारी हल्का जमीनी, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी मध्य प्रदेश। मू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री लक्ष्मण दुबे पुत्र श्री सरोज दुबे। चतुर्सीमा: उत्तर- बृजराजा देवी (विधेया की भूमि), दक्षिण- विधेया की भूमि, पूर्व- शिवराज बहादुर सिंह की भूमि, पश्चिम- रास्ता। कुल क्षेत्रफल 1900.00 वर्ग फीट उस पर निर्मित भवन/ इकाई। प्रलंबित कब्जा	₹. 27,00,000/- ₹. 2,70,000/- ₹. 1,00,000/-
5	सीधी मो.नं.- 91794 06871	1. मैसर्स अमर वैन्युफैक्टर्स प्रो. ली अरविंद कुमार गौतम पुत्र श्री अरुण कुमार गौतम (मूल उधारकर्ता) 2. श्री अरविंद कुमार गौतम पुत्र श्री अरुण कुमार गौतम (मूल उधारकर्ता) पता 1: ग्राम एवं पोस्ट- फलोखर, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी-486775, पता 2: मकान नं. 3067, वार्ड नं. 4, पडरा नई बस्ती, तहसील- हुजूर, जिला- राय-489001 2. श्री आदित्य प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री मिथला प्रसाद पाण्डेय (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता: ग्राम एवं पोस्ट- कपूरी बेगुलियान, बोर के पास, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी-486771	₹ 20,70,963/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: खसरा क्र. 1175, ग्राम- बड़खड़ा 740, पटवारी हल्का- बड़खड़ा, आर.आई. चुरहट, तहसील- चुरहट, जिला- सीधी (म.प्र.)। मू-स्वामी/ संपत्ति बंधककर्ता- श्री आदित्य प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री मिथला प्रसाद पाण्डेय। चतुर्सीमा: उत्तर- जमुना राम तिवारी की भूमि, दक्षिण- समयलाल की भूमि, पूर्व- राम कुशल की भूमि, पश्चिम- विधेया की भूमि। कुल क्षेत्रफल- 0.210 हे. उस पर निर्मित भवन/ इकाई। प्रलंबित कब्जा	₹. 6,80,000/- ₹. 68,000/- ₹. 5,000/-

विक्रय के निबंधन और कर्तों के व्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या ई-क अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबसाइट <http://ebkay.in> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्व संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220 या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 91-9893099247) या क्षेत्रीय कार्यलय शहडोल (ई-मेल rcvshahro@centralbank.co.in) से संपर्क करवायें। ई-क अनुबंधित सेवा प्रदाता के दौरेन संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु संबंधित शाखा- सिंगरीली (मो. 82280 12887), सीधी (म.प्र.) (मो. 91794 06871) से ई-क अनुबंधित सेवा प्रदाता के दौरेन संपर्क किया जा सकता है। इसक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 09/12/2024 से 13/12/2024 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित संपत्तियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सर्वेक्षणी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अर्धीन तीन (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 27/11/2024, स्थान: शहडोल (म.प्र.) कुने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत-अधिकारी

ल
म
आग
फायर
तले की
रने के
धान के
री और
में खड़े
हाहन में
लू नहीं
पाक हो
गौर उसे
हीं खूब

नी



सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक :- 30/12/2024
विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
30/12/2024 समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक	30/12/2024 साँय 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
- नीलामी बोली/ बिड ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार – दिनांक 30/12/2024 को (समय: दोपहर 12.00 बजे से साँय 4.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
- विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएँ अथवा ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) है।
- निविदाकर्ता <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।
निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:
प्रथम चरण : निविदाकर्ता/खरीददार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।
द्वितीय चरण : केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच, ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।
तृतीय चरण : निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ईएमडी वालेट में अंतरित करना – ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/(RTGS)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।
चतुर्थ चरण : बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।

- ई-नीलामी प्लेटफार्म <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता-PSB Alliance Pvt Ltd द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय Unit 1, Third Floor, VIOS Commercial Tower, Near Wadala Truck Terminal, Wadala East, Mumbai-400037 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीददारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का PSB Alliance Pvt Ltd के पोर्टल



Regional Office Burhar Road (M.P.)-484001
Mob. 96930 96247 email – recvshahro@centralbank.co.in

(<https://ebikray.in> (PSB Alliance Pvt Ltd) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिन्हें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 91-82912 20220 या E-mail id support.baanknet@psballiance.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

- इच्छुक निविदाकर्ता/खरीददार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए (EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
- ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात् नेफ्ट (NEFT/RTGS) /अंतरण (चालान फार्म तैयार करने के पश्चात <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>)) (PSB Alliance Pvt Ltd) निविदाकर्ता के ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग ड्राफ्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
- ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक:- 30/12/2024 साँच 4.00 बजे तक।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धृत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि केवल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धृत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊंची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊंची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊंची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हकों, दावों /अधिकारों/ देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
- आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई- नीलामी के बन्द होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा. (प्रत्येक समय ई नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊंची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि) को समापोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना





सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफ्ट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा कराना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल (म.प्र.)

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समयावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

- वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।
- सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय रशियां, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आने वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/ निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को स्थगित/रोकने/विक्रय को रद्द करने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊंचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।
- सम्पत्ति की बिक्री 'जहां है जैसी है, जो है जैसी है' के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/ जीएसटी/ आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार, गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्णित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/ स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।
- निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध (PSB Alliance Pvt Ltd) के वेब पोर्टल <https://ebikray.in> (Now <https://baanknet.com>) (PSB Alliance Pvt Ltd) और www.centralbankofindia.co.in पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।



Regional Office Burhar Road (M.P.)-484001
Mob. 96930 96247 email – recvshahro@centralbank.co.in



REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई- नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/ विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/ वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।
22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है.
23. शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा - सिंगरौली (मोब:-82260 12887), सीधी (मोब:- 91794 06871) , से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 91-96930 96247), एवं श्री संजय कैन (मो.91-9407586814) , क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ईमेल- recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।



स्थान : शहडोल
दिनांक :14/12/2024

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी